

कार्यालय नायब तहसीलदार..... वृत्त..... जिला.....

:-बेदखली आदेश:-

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रति,

श्री.....पिता..... जाति.....

निवासी.....

तहसील..... जिला.....

-----00-----

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील..... वृत्त..... के रा.प्र.क्र. में पारित अंतिम आदेश दिनांक..... के अनुसार आपके द्वारा ग्राम..... प.ह.न..... शासकीय मद /भूमि ख.न..... रकबा कुल..... में से..... हे. पर अवैध रूप से फसल लगाकर किये गए अतिक्रमण को हटाने/बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण भूमि में से अपना अवैध कब्जा 1 सप्ताह के भीतर हटाकर भूमि को मूल स्थिति में लावे तथा आदेश अनुपालन की सूचना लिखित रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करे। आपके द्वारा कब्जा न हटाने की स्थिति में म.प्र.भू.रा.सं. 1959 यथा संशोधित 25 सितम्बर 2018 की धारा 248(1) के तहत वादोक्त भूमि पर लगी फसल अधिहरित (राजसात) कर ली जाएगी। उक्तानुसार पूर्ण कार्यवाही में हुआ व्यय (खर्च) आपसे भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।

(जारी मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन)

नायब तहसीलदार

..... वृत्त.....

पृ क्रमांक/ /प्र0ना0तह0/2024

दिनांक

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व लखनादौन की ओर सूचनार्थ।
2. राजस्व निरीक्षक..... की ओर सूचनार्थ।
3. हल्का पटवारी प.ह.न....., ग्राम..... की ओर सूचनार्थ। आप अतिक्रमित भूमि में से अनावेदक द्वारा नियत तिथि तक अतिक्रमण हटाने/नहीं हटाए जाने का प्रतिवेदन उक्त समयावधि के पश्चात् तत्काल न्यायालय में प्रस्तुत करे।

नायब तहसीलदार

..... वृत्त.....